न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2259—एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 2—7—14 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम प्रकरण कमांक 03/स्वमेव पुनरीक्षण/2013—14.

दि रतलाम स्ट्राबोर्ड मिल्स प्रायवेट लिमिटेड
(भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय मऊ—नीमच रोड रतलामं
द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रबंध संचालक,
अनवर हुसैन ----- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम ----- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेई ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी. के. शुक्ला ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8-12-14 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 03/स्वमेव पुनरीक्षण/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 02—7—14 के विरूद्ध म.प्र. भू— राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर ने आवेदक कंपनी जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में अंकित था, को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए तथा बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिए एक ही दिन में सीधे दिनांक 2—7—14 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ—6—अ/03—04 में पारित आदेश दिनांक 7—4—2004 को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि अहस्तांतरणीय दर्ज करने तथा जिला पंजीयक को कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में राज्य शासन एवं व्यक्ति के मध्य स्वत्व का विवाद

मानते हुए संहिता की धारा 57(2) के तहत राज्य शासन के प्राधिकार में होने से विधिवत निराकरण हेतु शासन को भेजने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि कलेक्टर का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है । आवेदक को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए, बिना कोई कारण बताओ सूचना पत्र दिए मनमाने तरीके से एक ही दिन में आदेश पारित किया है जो पूर्णतया अवैधानिक है । इस संदर्भ में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2011 आर0एन0 273 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि 999 वर्ष की अवधि के लिए कोर्ड बोड एवं पेपर मिल स्थापित करने के लिए सेठ नजर अली पुत्र अब्दुल अली को दिनांक 19.12.46 को रतलाम के तत्कालीन शासन ने प्रदान की थी । रतलाम राज्य के विलीनीकरण के पश्चात मध्य भारत राज्य प्रमुख की ओर से नियुक्त प्रशासन ने दिनांक 4–1–1949 को निष्पादित दस्तावेज से सेठ नजरअली को एक नवीन पट्टा प्रदान किया एवं उक्त भूमि पर पट्टा ग्रहीता के अधिकार प्रदान किये जिसमें पट्टाग्रहीता को भूमि रहन रखने, विक्रय करने तथा हिबा आदि करने के अधिकार प्रदान किए गए थे । सेठ नजर अली ने आवेदक कंपनी का गठन कर उक्त भूमि कंपनी में समाहित करदी । उनका यह भी कहना है कि संहिता के प्रभावशील होते ही आवेदक को विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के अधिकार विधि के प्रभाव से प्राप्त हो चुके हैं । इस संबंध में उनके द्वारा 1997 आर.एन. 381, 1985 डब्लू.एन. नोट–341 पृष्ठ 428 एवं 1979 आर.एन. 58 एवं 71 का हवाला दिया गया है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के आलोच्य आदेश के अंतिम पैरा की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया कि कलेक्टर ने इस पद में यह माना है कि भूमि सर्वे नंबर 313 के संबंध में राज्य शासन एवं व्यक्ति के मध्य स्वत्व का **विवाद है** । अतः प्रकरण संहिता की धारा 57(2) के तहत निराकरण हेतु राज्य शासन को भेजा जाये । कलेक्टर के इस निष्कर्ष पर आवेदक का तर्क है कि जब भूमि के संबंध में स्वत्व का विवाद होना माना गया है तथा भूमि आवेदक के पूर्वाधिकारी नजर अली एवं आवेदक कंपनी के नाम पर 1949 से अंकित है तथा 1946 से निरंतर आधिपत्य में है तब जब तक शासन की पहल पर आवेदक का स्वत्व एवं अधिकार किसी सक्षम न्यायालय से विनिश्चत नहीं हो जाता तब तक आवेदक के विरूद्ध न तो कोई प्रतिबंधात्मक आदेश दिया जा सकता है और ना ही आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा सकता है ।

यह तर्क दिया गया है कि तहसील न्यायालय का आदेश 10 वर्ष पूर्व का है । तहसीलदार के आदेश के उपरांत आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर विकास करने की अनुमति दी गई है प्रकरण में समस्त कार्यवाही शासकीय अधिकारियों की जानकारी में हुई है । कलेक्टर द्वारा समक्ष में दिए गए निर्देश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम ने दिनांक 8–6–11 को अपने प्रतिवेदन कमांक 691/री/2011 से आवेदक द्वारा धारित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नंबर 313 के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा विभिन्न कार्यवाहियों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया था कि न्यायालय की डिकी एवं आयुक्त उज्जैन संभाग के आदेश के आधार पर आवेदक का नाम 7.730 हैक्टर भूमि पर आवेदक के स्वत्व में दर्ज की गई है । अतः आवेदक की ओर से तर्क दिया गया कि प्रथमतः तहसीलदार का आदेश 10 साल पूर्व का होने से तथा वर्ष 2011 में अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात वर्ष 2014 में स्वमेव निगरानी का प्रकरण प्रारंभ करना अनुचित तथा अवैध कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कलेक्टर की जानकारी में आवेदक का स्वत्व अंकित होने के लंबे समय उपरांत ऐसी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती जैसाकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम में एवं माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 में विधि स्थापित की है ।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि भूमि के पूर्वाधिकारी नजर अली तथा आवेदक कंपनी का नाम एडमिनिस्ट्रेटर एवं न्यायालयीन आदेशों के पालन में अंकित किया गया है । कलेक्टर के विवादित आदेश में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है कि नाम होना अवैध कृत्य का परिणाम है अथवा प्रविष्टि फर्जी है अतः विधि द्वारा प्रदत्त विचाराधिकार का मनमाना प्रयोग कर आवेदक को उसके स्वत्वों एवं अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करने में कलेक्टर ने गंभीर भूल की है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2013 आर.एन. 224 उच्च न्यायालय एवं न्यायदृष्टांत 2008 आर.एन. 162 उच्चतम न्यायालय का उल्लेख करते हुए कहा कि भूमिस्वामी की प्रविष्टि सुनवाई का अवसर दिए बिना विलुप्त नहीं की जा सकती है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवकता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 2003—04 तक खसरे में आबादी नजूल दर्ज रही । आयुक्त, उज्जैन ने दिनांक 15—12—03 को अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण अपर कलेक्टर, रतलाम को प्रत्यावर्तित किया गया । न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरण में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर को प्रकरण प्रस्तुत न कर स्वयं निर्णय करना प्रकिया की गंभीर त्रुटि है जबकि शासकीय भूमि पर भू—स्वत्व अंकित करना धारा 115 के तहत की जाने वाली कार्यवाही न होकर राज्य शासन एवं व्यक्ति के मध्य स्वत्व का विवाद होने से संहिता की धारा 57(2) के तहत राज्य शासन के प्राधिकार में है जो कि तत्समय एस. डी.ओ. के प्राधिकार में थी । तहसीलदार ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर आदेश पारित किया है इस आदेश के द्वारा संबंधित पक्ष जोकि शासन स्वयं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि आलोच्य आदेश संहिता की धारा 115 के तहत दिया गया है जबकि उक्त भूमि बंदोवस्त अभिलेखों में 1956 से उक्त आदेश तक शासकीय आबादी दर्ज रही । उक्त प्रविष्टि तहसीलदार के अधीनस्थ अधिकारी की त्रुटि से दर्ज नहीं थी तथा न ही धारा 114 के तहत तैयार अभिलेखों में अशुद्ध प्रविष्टि है, जिसका सुधार तहसीलदार के अधिकार में नहीं है । यह भी कहा गया कि उक्त भूमि रतलाम रियासत एवं मध्य भारत शासन द्वारा श्री सेठ नजर अली को कार्ड बोर्ड एवं पेपर मिल के लिए लीज पर दी गई है जबकि संशोधित प्रविष्टि में दी रतलाम स्ट्राबोर्ड मिल्स प्रायवेट लिमिटेड महुरोड द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर असगर अली पिता सेठ नजर अली बोहरा दर्ज किया गया । पट्टागृहिता एवं उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा कार्डबोर्ड फैक्ट्री बंद किए जाने के उपरांत उक्त लीज का प्रयोजन समाप्त हो गया है तथा उस भूमि के विकय से शासकीय भूमि का दुरूप्योग हुआ है जोकि संहिता की धारा 165(7) का भी उल्लंघन है । यह कहा गया कि उक्त त्रुटियों को देखते हुए संहिता की धारा 50 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है । शासकीय भूमि के संरक्षण में व्यापक जनहित की संभावनाओं को देखते हुए प्रकरण स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिया गया है जिसमें अवधि की बाध्यता नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर का आलोच्य आदेश अंतरिम एवं अस्थाई है । उक्त आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेश एवं नस्तियों का अवलोकन किया गया है । तथा राज्य शासन एवं व्यक्ति के मध्य स्वत्व का विवाद होने से संहिता की धारा 57(2) के तहत राज्य शासन के प्राधिकार में होने से म0प्र0 शासन राजस्व

विभाग को भेजा गया है । जिसकी सूचना संबंधित को दी गई है किंतु शासकीय भूमियों को संरक्षित करने एवं अवैधानिक अंतरण से बचाने के उद्धेश्य से संबंधित पक्षों को सूचना न्यायहित में आवश्यक नहीं पाई गई । अंत में यह कहा गया कि प्रकरण में संहिता की धारा 57(2) के तहत राज्य शासन एवं व्यक्ति के मध्य विवाद होने से राजस्व मंडल को इस प्रकरण को सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । कलेक्टर न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश संहिता के प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत है क्योंकि ना तो आवेदक को प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिए जाने के संबंध में कोई कारण बताओ सूचनापत्र दिया गया है और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । संहिता की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (तीन) में स्पष्ट प्रावधान है कि – किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न करदी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो । परंतु इस प्रकरण में ना तो आवेदक को सूचना दी गई है और ना ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है बल्कि जिस दिन प्रकरण दर्ज किया है उसी दिन आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतयाः अवैधानिक आदेश है । न्यायदृष्टांत 2011 आर0एन0 273 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया – नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया । इस न्यायदृष्टांत में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 (1) परंतुक (तीन) स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण – हितबद्ध व्यक्ति को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना – आदेश पारित नहीं किया जा सकता । यदि ऐसा आदेश पारित किया गया है तो वह प्रभावशील न होकर शून्य होगा । न्यायदृष्टांत 2013 आर.एन. 224 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) – धारा 117 तथा 190–राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्टियां – सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना – ऐसी प्रविष्टियां विलुप्त किया जाना अवैध है । संहिता की धारा 50 में दिए गए प्रावधानों एवं उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

6/ अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा रतलाम रियासत के महाराजा द्वारा आवेदक के पूर्वाधिकारी नजर अली एवं आवेदक कंपनी को वर्ष 1946 में दिया गया था बाद में मध्य भारत में विलीनीकरण उपरांत मध्य भारत के प्रशासक द्वारा वर्ष 1949 में पट्टा दिया गया है इस तथ्य को शासन द्वारा भी स्वीकार किया गया है । शासन की ओर से यह कहा गया कि उक्त पट्टे रतलाम की प्रजा के आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि के लिए कार्ड बोर्ड एवं पेपर मिल की स्थापना एवं संचालन की शर्तें निहित थीं किंतु इस संबंध में उनकी ओर से पट्टे की कोई प्रति पेश नहीं की गई है और ना ही कलेक्टर के अभिलेख में इस संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध हैं । ऐसी स्थिति में आवेदक का यह तर्क भी मान्य किए जाने योग्य है कि संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक से नजर अली को विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत हो गये हैं और भूमिस्वामी स्वत्व आवेदक कंपनी को वर्तमान में प्राप्त हैं । कलेक्टर ने संहिता की धारा 158 की उपधारा 1 के प्रभाव को समझने में त्रुटि की है क्योंकि आवेदक उस परिभाषा में सम्मिलित है जो भूमिस्वामी होने के लिए दी गई है । संहिता की धारा 181 अथवा 165 किसी भी दशा में आवेदक के अधिकारों को ना तो प्रभावित करती है और ना ही आवेदक के विरूद्ध इन प्रावधानों के अंतर्गत कोई प्रकरण निर्मित नहीं होता है ।

7/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावजों से यह स्थापित है कि आवेदक कंपनी द्वारा धारित भूमि के पूर्वाधिकारी नजर अली तथा उनके पश्चात आवेदक का भूमि पर निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है तथा राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों को प्रथमदृष्टया आधारहीन अथवा फर्जी नहीं माना जा सकता है । आवेदक कंपनी का स्वत्व एवं अधिकार होना भी विभिन्न न्यायालयीन आदेशों तथा अभिलेखों की प्रविष्टियों से स्थापित है । यदि शासन द्वारा आवेदक कंपनी के स्वत्वों एवं अधिकारों को प्रश्नगत किया जाता है तब उसके उपचार के लिए स्वत्व का निराकरण करने हेतु सक्षम न्यायालय का निर्णय एवं आदेश होना आवश्यक है ।

8/ प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक के इस तर्क में भी पर्याप्त बल है कि कलेक्टर द्वारा जो प्रकिया प्रांरभ की गई है वह अत्यंत विलंबित है आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी बल है कि संहिता की धारा 117 के तहत जो प्रविष्टियां हैं उनको जब तक खंडित न किया जाये सही माना जायेगा और इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1994 आर. एन. 169 तथा 1993 आर.एन. 165 (उच्च न्यायालय) अवलोकनीय है । इस प्रकरण में आवेदकों के नाम की प्रविष्टियों को अभिखंडित करने के लिए कोई आधार नहीं है और ना ही कोई

साक्ष्य है । इतनी लंबी अवधि के पश्चात स्वमेव पुनरीक्षण के अधिकारों का प्रयोग करना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता और इस संबंध में आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम (खंडपीठ माननीय उच्चतम न्यायालय) एवं न्यायदृष्टांत 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (पूर्णपीठ उच्च न्यायालय) इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 की पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो ।

9/ आवेदक की ओर से जो दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 313 पर निर्विवाद रूप से आवेदक कंपनी का आधिपत्य है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रतियां भी पेश की गई है । दीवानी वाद कमांक 88—ए/92 में पारित आदेश दिनांक 13—12—95 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील कमांक 161/1996 में पारित आदेश दिनांक 9—5—11 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं । दीवानी वाद में पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाद आवेदक कंपनी द्वारा, कंपनी परिसर में लगे हुए मुख्य द्वारा ईंटों के स्तम्भ एवं वायर फेंसिंग को अतिक्रमण के रूप में दर्शाए जाने संबंधी संहिता की धारा 248 के तहत प्राप्त सूचना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो आवेदक के पक्ष में डिकी हुआ । उक्त डिकी के विरूद्ध म0प्र0 शासन की ओर से कलेक्टर, जिला रतलाम के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर के समक्ष प्रथम अपील कमांक 161/1996 पेश की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 9—5—11 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के स्वत्व को मान्य कर यथावत रखते हुए शासन की अपील निरस्त की । इस आदेश को कोई चुनौती दिया जाना कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट नहीं है । अतः माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश चुनौती के अभाव में अंतिम हो चुका है जो शासन पर बंधनकारी है । कलेक्टर द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है । इस कारण भी उनका आदेश निरस्ती योग्य है ।

10/ इस प्रकरण में यह उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि जब कलेक्टर ने आवेदक के स्वत्व को प्रथमदृष्टया स्वीकार किया है तथा संहिता की धारा 57(2) के तहत राज्य शासन से विवाद का निराकरण करने की प्रत्याशा की है तब कलेक्टर को यह विचाराधिकार नहीं रह गया था कि वे आवेदक के नाम की प्रविष्टियों को किसी सक्षम आदेश के बिना परिवर्तित कर सकें, अतः कलेक्टर द्वारा जो निर्देश तहसीलदार को प्रविष्टि संशोधन करने के लिए दिए गए हैं वह विचाराधिकार रहित निर्देश हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जिला रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 03/स्वमेव पुनरीक्षण/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 2—7—14 अवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर